<u>मसौदा</u>

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना-आगे का रास्ता विषय पर 24.10.2017 को ए पी शिंदे हॉल, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बिजनेस स्टैंडर्ड कृषि राऊंड टेबल में माननीय कृषि मंत्री जी का संबोधन।

- यहां उपस्थित सभी उच्चधिकारियों को संबोधित करने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।
- आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमारे समक्ष लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक सात सूत्रीय कार्यनीति का भी आह्वान किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

  i. "प्रतिबूंद अधिक फसल" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बजट के साथ सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।
  ii. प्रत्येक खेत के मिट्टी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तायुक्त बीजों और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना।
  iii. फसलोपरान्त नुकसान से बचने के लिए वेयरहाउसिंग और शीत भंडार गृहों का बड़े पैमाने पर निर्माण करना।
  iv. खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना।
  v. राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना करने के साथ-साथ 585 मंडियों से अव्यवस्था समाप्त करके ई-प्लेटफार्म बनाना।
  vi. कृषि संबंधी जोखिम को कम करने के लिए उचित लागत वाली एक नई कृषि बीमा स्कीम शुरू करना।
  vii. मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसे सहायक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

- किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई स्कीमों और कार्यक्रमों पर फोकस किया जा रहा है जैसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य स्कीम, नीम लेपित यूरिया और ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम। कुछ ऐसी प्रमुख स्कीमें हैं जिनका उद्देश्य हमारे किसानों की उत्पादकता और आमदनी में सुधार लाना है।

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी मामले की जांच करने के प्रयोजनार्थ सभी संबंधित विभागों और नीति आयोग के

सदस्यों सहित सीएओ, एनआरएए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अब तक समिति की छह बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

- विभाग ने उचित कार्यनीति पर काम करने के लिए सभी राज्य सरकारों को संदेश भी भेजा है। किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में राज्यों की अहम भूमिका है। इस कार्यनीति के तहत उत्पादन से लेकर उत्पादन उपरान्त अवस्थाओं से जुड़े कार्यकलापों की स्थिति का पूर्ण रूपेण जायजा लिया जायेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इस संबंध में पहले से ही यथोचित कार्यनीतियां बना ली है। नीति आयोग ने किसानों की आय दोगुनी करने और उससे संबंधित युक्तियों, कार्यनीतियों, संभावनाओं और कार्य योजनाओं के बारे में एक नीतिगत शोध पत्र भी प्रकाशित किया है जिसके द्वारा राज्य सरकारों को इस दिशा में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित कार्यनीति बनाने में मदद मिली है।

- किसानों की आय दुगुनी करने के संबंध में सारगर्भित परिचर्चा करने के प्रयोजनार्थ 14.03.2017 से लेकर 21.03.2017 के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकों का यह आयोजन किया गया है। तब से लेकर अब तक विभिन्न विषयों पर कई उप-समूह भी गठित किए गए हैं।

- न्यूनतम आय, सकल मूल्यवर्धन (जीवीए), बाजार उतार-चढ़ाव और विकास दर आदि विषयों पर कई बैठकें आयोजित करने के बाद समिति द्वारा तैयार वर्ष '2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी कार्यनीति' विषयक मसौदा रिपोर्टो के प्रथम चार खंड लोगों की राय जानने के प्रयोजनार्थ इस विभाग की वेबसाइट पर http://agricoop.nic.in/doubling-farmers पर डाल दिए गए हैं। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार इन खंडों को क्रमिक रूप से किस्तों में जारी किया जा रहा है ताकि देश भर के सभी हितधारक और संबंधित पार्टियां स्थिति का जायजा लेने के बाद सिफारिशों को कार्यान्वित कर सकें।

- डीएफआई समिति में विस्तृत परिचर्चा करने के बाद निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

क. संस्थागत अवसंरचना कार्यतंत्र: सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर अंतर-मंत्रालयी/ विभागीय समितियां बनाने के लिए सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन समितियों का दायित्व यह है कि वे कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों से जुडे समन्वयन और अभिसरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ किसानों से जुड़े कल्याणकारी मामलों का भी जायजा लें।

ख. मंडी से संबंधित सुधार:

i. सात सूत्रीय कार्य सूची (मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 पर आधारित)-

- निजी क्षेत्र में मंडियों को स्थापित करना
- प्रत्यक्ष विपणन कार्य (प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों/थोक विक्रेताओं आदि द्वारा मंडी परिसर के बाहर उनके उत्पादों की सीधे खरीद)
- किसान उपभोक्ता मंडियों की स्थापना मंडी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी (किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधा विक्रय)
- संविदात्मक खेती
- ई-व्यापार
- संपूर्ण राज्य में एक ही स्थान पर मंडी शुल्क की उगाही
- संपूर्ण राज्य में एक ही व्यापार लाइसेंस

ii. एपीएलएम अधिनियम: ई-नाम के अलावा सरकार राज्यों से अनुरोध कर रही है कि वे किसानों को वैकल्पिक मंडियां उपलब्ध कराने के लिए मंडी सुधार कार्यों को अपनाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पाद और पशुपालन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम,2017 नामक एक मॉडल अधिनियम बनाकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे उसे अंगीकार करें।

iii. संविदात्मक खेती: सरकार ने मॉडल संविदात्मक कृषि अधिनियम बनाने के लिए एक समिति गठित की है। यह मसौदाकरण की प्रारंभिक अवस्था में है।

iv. डीएमआई का पुनर्रूद्धार कार्य शुरू हो गया है।

ग. उद्यम विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आरकेवीवाई के दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया जा रहा है।

घ. दलहन उत्पादन के लिए कार्य योजना : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने 2017-18 तक 24 मिलियन टन दलहन उत्पादन करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है।

ड. प्रति बूंद अधिक फसल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में 5000 करोड़ रूपए की प्रारंभिक धनराशि के साथ एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है।

च. बुनियादी बैंकिंग सुविधा के साथ सभी 63,000 हजार क्रियाशील पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण एवं एकीकरण कार्य नाबार्ड के जरिए उपलब्ध कराई गई सहायता से किया जायेगा।

छ. 3 वर्षों की अवधि में 8000 करोड़ रूपए की धनराशि के साथ नाबार्ड में एक डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचनागत विकास कोष को बनाया जायेगा। प्रारंभ में इस कोष में 2000 करोड़ रूपए डाले जायेगें।

ज. नीली क्रांति स्कीम के तहत मत्स्य उत्पादन 2015-16 में 10 मिलियन टन से बढ़कर 2019-20 में 15 मिलियन टन हो जायेगा, जिससे उसमें 50 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होगी।

झ. राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देशी गायों की नसलों में विशेष वैज्ञानिक ढंग से सुधार लाया जायेगा।

ञ. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नीति आयोग से प्राप्त सहायता के साथ दो अन्य महत्वपूर्ण सुधारों पर ध्यान दे रहा है जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(क) राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा मॉडल भूमि पट्टाकरण विधि को अपनाना। नीति आयोग द्वारा एक मसौदा विधि बना ली गई है।

(ख) गैर वन्य और निजी भूमि पर वृक्षों को काटने और उनकी ढुलाई के लिए वर्तमान विनियामक कानूनों को उदार बनाना। इसके द्वारा कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा जिसके फलस्वरूप किसानों के आय स्रोत में वृद्धि होगी। इसके अलावा इससे किसानों को मानसून के प्रतिकूल प्रभाव से उभरने के लिए ठोस आय स्रोत भी प्राप्त होगा।

- मुझे आशा है कि सरकार द्वारा किये गये उपर्युक्त उपाय 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाने में मदद करेंगे ।

*****